का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से कबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू नकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा बागरासर के खाता संख्या 06 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया था वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंपिकतः ाईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। उक्त बैंक मैनेजर व हसीलदार डेह को परफौर्मा पक्षकार के रूप में संयोंजित किया गया है। क्योंकि उक्त भूमियों का सम्पूर्ण ाता बैंक के नाम रहिन दर्ज है। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस वकुलाय पर मनन किया गया। केसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद ादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न कार डिक्री किया जाता है।

1. मौजा बागरासर के खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 2.5252 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 6.5154 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नम्बर 44/1 रकबा 1.3759 हैक्टेयर में से वादी भेरूराम के 1/3 हिस्सा, राजवीर ना.बा. संरक्षक वलिया माता रेवन्तीदेवी के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 मोहनराम के 1/3 हिस्सा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. मौजा बागरासर के खाता संख्या 206 में दर्ज खसरा नम्बर 23 रकबा 2.5252 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 6.5154 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नम्बर 44/1 रकबा 1.3759 हैक्टेयर, सम्पुर्ण खाता राहिन जयपुर थार ग्रामिण बैंक शाखा डेह यथावत रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 16.6.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner